

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

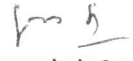
क्रमांक:- एफ.3(डी - 216/92)/अलेसे-11 200

दिनांक:- 26-6-19

आदेश संख्या 157/2019-20

श्री दयाराम जाट, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (लिंग नं. 4052), कार्यालय उपकोष, नीमकाथाना, जिला सीकर को उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर द्वारा पंजीबद्ध अपराध संख्या 223/2011 में अभियोजन स्वीकृति जारी करते हुए कार्मिक (क-3) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2(157) कार्मिक(क-3)/97 दिनांक 10.08.2001 के अनुसरण में श्री दयाराम जाट, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, कार्यालय उपकोष नीमकाथाना, जिला सीकर को सीसीए नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में आदेश क्रमांक 120-131 दिनांक 22.04.2016 से निलम्बित किया गया था। निलम्बन से बहाली हेतु आयोजित समीक्षा बैठक दिनांक 18.06.2019 में श्री दयाराम जाट को निलम्बन से बहाल किये जाने का निर्णय लिये जाने पर श्री दयाराम जाट, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II को तुरंत प्रभाव से निलम्बन से बहाल करते हुए इनका पदस्थापन कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नीमकाथाना, सीकर में किया जाता है। उक्त आदेश वित्त (राजस्व) विभाग के पत्रांक प. 2(3) वित्त/राजस्व/2014 दिनांक 21.06.2019 के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

निलम्बन अवधि का निर्णय न्यायालय निर्णय के अधधीन रहेगा।

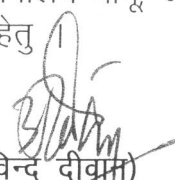

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3(डी - 216/92)/अलेसे-11 200

दिनांक:- 26-6-19

प्रतिलिपिनिम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर।
4. कोषाधिकारी, सीकर।
5. खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नीमकाथाना, सीकर।
6. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
7. उपनिदेशक (एसीपी) को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. श्री दयाराम जाट, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, कार्यालय- उपकोषालय चौमूं, जयपुर।
9. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट/विधि एवं जाँच/मासिक सूचना हेतु।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।


(अरविन्द दीवाम)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II)